# लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.


**पत्रांक** BRLPS/LSBA/Admn/100/20/71 **दिनांक:** 03.06.2020

प्रेषक,

**राजीव कुमार सिंह,** बि॰प्र॰से॰,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक।

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,**
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **जिला जल एवं स्वच्छता समिति कार्यालय में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों अनुश्रवण एवं क्षेत्रभ्रमण हेतु भाड़े पर वाहन रखने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II (2020-21 से 2024-25 तक) का Operational Guideline, जलशक्ति मंत्रालय,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत कर राज्य कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–II हेतु निर्गत Operational Guideline में प्रशासनिक मद में व्यय की कुल राशि का 01% (एक प्रतिशत) प्रावधानित है इस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II के प्रशासनिक व्यय की पूर्व में निर्धारित सीमा 02% (दो प्रतिशत) से घटाकर 01% (एक प्रतिशत) कर दिया गया है, एवं विभागीय पत्रांक BRLPS/LSBA/Proj/159/20/30 दिनांक 12.05.2020 से जिलों को प्राप्त योजना निधि का 0.75% व्यय करने का निदेश निर्गत किया जा चुका है।

विदित है कि उक्त मद से नियोजित अस्थायी कर्मचारियों एवं एजेंसियों का वेतन, सहायक सेवाओं, ईंधन, **वाहन के भाड़े पर लेने,** लेखन सामग्री तथा मूल्यांकन सामग्रियां, निगरानी एवं सत्यापन प्रभावन आदि दौरों के लिए तैनात किए गए अन्तर्राज्य एवं अन्तर्रजिला सर्वेक्षण दलों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर व्यय किया जाता है।

अत: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II के प्रशासनिक मद के व्यय में कटौती के मद्देनजर, निदेशानुसार माह जुलाई 2020 से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

कार्यालय में कार्यरत जिला स्तरीय कर्मियों के क्षेत्रभ्रमण एवं अनुश्रवण हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति कार्यालय द्वारा मात्र एक वाहन मासिक दर पर रखा जायेगा। इस प्रायोजित रखे जा रहे मासिक वाहन का दर/किराया, जिला स्तर पर निर्धारित दर/किराया या निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित दर/किराया पर रखा जायेगा। विशेष परिस्थिति में किसी खास प्रायोजन हेतु एक से अधिक वाहन की आवश्यकता होने पर राज्य कार्यालय की सहमति से निर्धारित अवधि/प्रायोजन हेतु वाहन रखा जा सकेगा।

विश्वासभाजन

03/06/2020.

**(राजीव कुमार सिंह)**

**ज्ञापांक:** BRLPS/LSBA/Admn/100/20/71 **दिनांक:** 03.06.2020

प्रतिलिपि: सभी जिला समन्वयक/जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

03/06/2020.

**(राजीव कुमार सिंह)**